संख्या-5/2026/207/94-1-2026-312-125-2024

प्रेषक,

अमित गुप्ता,
प्रमुख सचिव।

सेवा में,

आयुक्त स्टाम्प,
उ0प्र0 प्रयागराज।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 09 फरवरी , 2026**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-91, के अन्तर्गत राजस्व लेखा 2030, स्टाम्प पंजीकरण 02 स्टाम्प न्यायिकेत्तर 101स्टाम्पों की लागत 03 गैर न्यायिक स्टाम्प, 42 अन्य व्यय के मद में से धनराशि रु० 08 करोड़ का पुनर्विनियोग अनुदान संख्या-91, के अन्तर्गत राजस्व लेखा 2030, स्टाम्प पंजीकरण 01 स्टाम्प न्यायिक 101 स्टाम्पों की लागत 03 न्यायिक स्टाम्प, 42 अन्य व्यय के मानक मद में किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-187/01-स्टाम्प बजट आवंटन/2025-26 दिनांक 22-01-2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-91, के अन्तर्गत राजस्व लेखा 2030-स्टाम्प पंजीकरण 02-स्टाम्प न्यायिकेत्तर 101-स्टाम्पों की लागत 03-गैर न्यायिक स्टाम्प, 42-अन्य व्यय के मानक मद में उपलब्ध धनराशि रु0 64.949 करोड़ में से धनराशि रु० 08 करोड़ का पुनर्विनियोग अनुदान संख्या-91, राजस्व लेखा 2030-स्टाम्प पंजीकरण 01-स्टाम्प न्यायिक 101-स्टाम्पों की लागत 03-न्यायिक स्टाम्प, 42-अन्य व्यय के मानक मद में किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-91, के अन्तर्गत राजस्व लेखा 2030-स्टाम्प पंजीकरण, 02-स्टाम्प न्यायिकेत्तर 101-स्टाम्पों की लागत 03-गैर न्यायिक स्टाम्प, 42-अन्य व्यय के लिए भुगतान के मानक मद में से 01-स्टाम्प न्यायिक 101-स्टाम्पों की लागत 03-न्यायिक स्टाम्प, 42-अन्य व्यय के मानक मद में भुगतान हेतु कुल धनराशि रु0 8,00,00,000 (रुपये आठ करोड़ मात्र) का निम्नलिखित शर्तों के अधीन पुनर्विनियोग की स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) जिस मद से पुनर्विनियोग कर रहे है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार धनराशि की मांग नहीं करेंगे तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय करेंगे।

(2) जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित है उस मद की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(3) पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है।
(4) उक्त् मदों में पुनर्विनियोग की गयी धनराशि का व्याय किये जाने में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत सुसंगत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) पुनर्विनियोग की गयी धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस कार्य हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

(6) यह आदेश वित्तक विभाग के आर0ई0 संख्या-बजट-1-279 दिनांक 04-02-2026 के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 8,00,00,000 (रुपये आठ करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20252026 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 091 **लेखा शीर्षक** 20300110103 42-अन्य व्यय के मद में भुगतान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अमित गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या-5/2026/207(1)-94-1-2026-312-125-2024, तद् दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ०प्र० प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
3. महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र० लखनऊ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र० प्रयागराज।
5. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
6. वित्त एवं लेखाधिकारी, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9, उ०प्र० शासन।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुधीर कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।